

फार्म – 5 / Form - 5  
(नियम 24 (3) देखें / See rule 24 (3) )

कार्य पर उपस्थित होने के लिए स्वस्थता प्रमाण-पत्र  
**Medical certificate of fitness to return to duty**

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर / Signature of the Government Servant

.....

मैं, ..... सिविल सर्जन / स्टाफ सर्जन / पंजीकृत चिकित्सा कर्मी के अधिकृत चिकित्सा सहायक प्रमाणित करता हूँ कि हम / मैं ने डॉ. / श्री / श्रीमती / कु. ...., जिसके हस्ताक्षर ऊपर दिए गए हैं, का सावधानी से जाँच किया है एवं पाया गया कि वे अपनी बीमारी से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं तथा वे सरकारी सेवा में अपने कार्य पर उपस्थित होने लायक हैं। हम / मैं यह भी प्रमाणित करते हैं / करता हूँ कि यह निर्णय लेने के पहले हम / मैं ने मामले के मूल प्रमाण-पत्र(पत्रों) तथा विवरण (अथवा उसकी प्रतियों) की जाँच की है जिसके आधार पर उन्हें छुट्टी लेने / बढ़ाने की स्वीकृति दी गई थी।

I, ----- Civil Surgeon / Staff Surgeon / Authorised Medical Attendant of Registered Practitioner do hereby certify that we/I have carefully examined Shri / Kum./ Dr. ----- whose signature is given above and find that he / She has recovered from his /her illness and is now fit to resume duties in government service. We/ I also certify that before arriving at this decision, We/I have examined the original certificate (s) and statement(s) of the case (or certified copies thereof ) on which leave was granted or extended and have taken these into consideration in arriving at our/my decision.

चिकित्सा बोर्ड के सदस्य /  
Member of the Medical Board

1. ....
2. ....
3. ....

दिनांक / Dated : .....

सिविल सर्जन / स्टाफ सर्जन /  
पंजीकृत चिकित्सा कर्मी के अधिकृत चिकित्सा सहायक  
Civil Surgeon / Staff Surgeon /  
Authorized Medical Attendant of Registered Practitioner

**नोट / Note :**

मामले की मूल चिकित्सा प्रमाण-पत्र(पत्रों) एवं विवरण जिसके आधारपर छुट्टी ली गई थी बढ़ाई गई थी, को उपर्युक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए मूल प्रमाण-पत्र(पत्रों) एवं विवरण

की दो प्रतियाँ तैयार की जाएँ और एक प्रति संबंधित अधिकारी अपने पास ही रखें।/The original medical certificate(s) and statement(s) of the case on which the leave was originally granted or extended shall be produced before the authority required to issue the above certificate for this purpose, the original certificate(s) and statements(s) of the case should be prepared in duplicate, one copy being retained by the Govt. Servant concerned.